कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2020/170 दिनांकः– 14/8/2020

–ःकार्यवाही विवरणः–

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 02/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा	जोन	विषय	निर्णय
1.	दक्षिण	**राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 319/7 के आवासीय एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 10344.31 वर्गगज (8649.18 वर्गमीटर) पर अनुमोदित आवासीय प्रयोजनार्थ भवन में अतिरिक्त उंचाई व अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु संशोधित भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः– श्री औसियां कॉरपोरेशन जरिये भागीदार श्री नरेश बुधवानी पुत्र श्री कन्हैयालाल बुधवानी।** भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। पूर्व में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जाने वाला पत्र कमांक 6730 दिनांक 30.10.2019 प्रार्थी स्वयं को दिया गया तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.12.2019 को प्रार्थना पत्र के साथ वही पत्र संलग्न प्रस्तुत कर दिया गया जो गम्भीर विषय हैं, जिसके सम्बन्ध में सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जॉच कर एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बाद विचार विमर्श प्रकरण के समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।**
2.	दक्षिण	**राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नं. 12/1, 12/2 के व्यवसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 699.66 वर्गगज (585.21 वर्गमीटर) पर व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः– श्री जैताराम, श्री जालाराम, श्रीमती सोहनी देवी, श्रीमती बाबू देवी।** भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया –** 1. एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम 8.7(अ) अनुसार "पूर्व में आवंटित पट्टेसुदा भूमि में से अग्र सेटबैक भूमि समर्पण पश्चात समर्पित भूमि की चौड़ाई के बराबर कम माना जावें ताकि भवन रेखा पूर्वानुसार अर्थात् यथावत रहे।" प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी साईट प्लान में अग्र सेटबेक 6 मीटर अंकित है तथा सडक की चौडाई 160' (अर्थात् 48 मीटर) अंकित है। अतः प्रकरण में सड़क मार्गाधिकार 200' (अर्थात् 60 मीटर) हेतु सडक मध्य से 30 मीटर में आने वाली भूमि को सडक का भाग माना जावें एवं प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाकर प्राधिकरण द्वारा विधिवत कब्जा लिया जावें तथा अग्र सेटबैक तदानुसार "शून्य" माना जावें। तदानुसार नियमानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त कर निदेशक आयोजना स्तर से मानचित्र जारी किया जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें।

			3. प्रकरण में प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भू–जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावें। 4. प्रस्तावित भवन की दूरी एयरपोर्ट की सीमा से 2 किलोमीटर के भीतर है, अतः प्रस्तावित भवन की उँचाई के सम्बंध में भवन विनियम के प्रावधानानुसार नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रार्थी से प्राप्त किया जावें। 5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के कम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाने के उपरान्त ही निर्माण स्वीकृति जारी की जावें। साथ ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 6. आवेदक से मानचित्र में प्रस्तावित मैकेनिकल वेंट हेतु शपथ–पत्र प्राप्त किया जावें। 7. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
3.	उत्तर	**राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नं. 974/983 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 9680 वर्गगज (8093.72 वर्गमीटर) पर सीएमजेवाई के प्रावधान संख्या 3ए प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः– मैसर्स रिद्धी–सिद्धि बिल्डकॉन पार्टनर श्रीमती सीमा बावेजा/श्री सुरज प्रकाश बत्रा** भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण में भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया –** 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के कम में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 3. खुदरा व्यावसायिक दुकानों हेतु आवश्यक गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का 1 प्रतिशत का प्रावधान करते हुए एवं नियमानुसार अन्य संशोधन करवाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए जारी किए जावें। 4. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
4.	उत्तर	**राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नं. 378 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 2500 वर्गगज (2090. 32 वर्गमीटर) पर होटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः– श्री भगवान सिंह गहलोत (स्व. श्री गेनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह की मृत्यु उपरांत)** भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में पूर्व में श्री गेनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु दिनांक 24. 06.2020 को श्री भगवान सिंह गहलोत द्वारा अपने पिता की मृत्यु के कारण स्वयं के नाम से अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया है। अतः आवेदक द्वारा प्राधिकरण में नाम हस्तान्तरण हेतु विधिवत आवेदन उपरांत तथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही होने के उपरांत भगवान सिंह से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार मानचित्र जारी किये जावें। 2. बी.पी.सी. (बी.पी.) की बैठक दिनांक 18.12.2018 में लिए गए निर्णय के कम में जोन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार आवेदक का स्वामित्व सही है तथा

			प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.06.2013 को जारी भू–उपयोग परिवर्तन आदेश में कोई शर्त अंकित नही होने के कारण समिति द्वारा होटल प्रयोजनार्थ स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर लगभग 40फीट×10फीट पर तीन कमरे निर्मित है व बीच में एक कमरा 24फीट×24फीट में निर्मित है। अतः किया गया निर्माण सैटबैक क्षैत्र में है अथवा नहीं के संबंध में पुनः नवीन रिपोर्ट प्राप्त कर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ति ली जावे। यदि निर्माण सेटबेक क्षेत्र में है, तो सेटबेक क्षेत्र में हुए निर्माण को हटाये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किये जावें। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के क्रम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाने के उपरान्त ही निर्माण स्वीकृति जारी की जावें। साथ ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 6. प्रकरण में प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भू–जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावें। 7. आवेदक से मानचित्र में प्रस्तावित मैकेनिकल वेंट हेतु शपथ–पत्र प्राप्त किया जावें। 8. प्रकरण में वास्तुविद् से शपथ–पत्र प्राप्त किया जावें। 9. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क/शास्ति जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
5.	दक्षिण	**राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 912/747 के संयुक्तिकृत भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 18, 19, 24 व 25) क्षेत्रफल 677.76 वर्गगज (566.67 वर्गमीटर) पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः– श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश** भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया –** 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
6.	दक्षिण	**राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 912/747 के संयुक्तिकृत भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 20, 21, 22 व 23) क्षेत्रफल 666.64 वर्गगज (557.40 वर्गमीटर) पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।**	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया –** 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें।

		आवेदकः– श्री पूजा अग्रवाल पत्नि श्री जितेन्द्र अग्रवाल भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	2. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
7.	दक्षिण	**राजस्व ग्राम पाल के खसरा नं. 274/1, 274/2 वगैरह के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज (74.32 वर्गमीटर) पर भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु पत्रावली में पार्किंग शुल्क के संबंध में।** **आवेदकः– श्रीमती प्रमिला पत्नि स्व. श्री जयकिशन** भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श राज्य सरकार द्वारा प्रेषित मार्गदर्शन के कम में योजना में प्रस्तावित सार्वजनिक पार्किंग उपलब्धता का आवश्यक प्रतिशत से 10 प्रतिशत ही पार्किंग उपलब्धता के कम में समानुपातिक लाभ अर्थात् पार्किंग हेतु देय कुल राशि का 10 प्रतिशत लाभ प्रार्थी एवम् योजना में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रिजन भवन विनियम) 2013 के प्रावधान अनुसार 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों हेतु समस्त प्रकरणों को देते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।**
		ऑनलाईन प्रकरण	
8.	पूर्व	**राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा सं. 414/1, 414/2, 414/3 के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 18615.54 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।** **आवेदकः– राजस्थान विकास संस्थान** Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/3892 भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया–** 1. सकल निर्मित क्षैत्रफल 20000 वर्गमीटर से अधिक हैं, अतः भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथपत्र लिया जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के कम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाने के उपरान्त ही निर्माण स्वीकृति जारी की जावें। साथ ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 4. एन.बी.सी. के अनुसार भूकम्परोधी सुरक्षा के प्रावधानों की सुनिश्चितता किये जाने बाबत भवन विनियम अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र प्राप्त किया जावें। 5. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नही है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है। 6. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
9.	पश्चिम	**राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा सं. 210/1, 211/3, 211/5 के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल**	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया–**

		29110.52 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। **आवेदकः– मैसर्स प्रिन्स ब्रदर्स प्रा. लि. जरिये श्री नरेश कुमार एवं सुरेश कुमार जरीवाला पुत्र श्री बाबू लाल जरीवाला** Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/2101 भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	1. प्रकरण में बेसमेंट हेतु भू–जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के कम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाने के उपरान्त ही निर्माण स्वीकृति जारी की जावें। साथ ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 4. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नही है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है। 5. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार 90 गुणा 55 फीट में ऑफिस निर्मित है एवं स्टोर हेतु टिनशेड निर्मित है। अतः किया गया निर्माण सैटबैक क्षैत्र में है अथवा नहीं के संबंध में पुनः नवीन रिपोर्ट प्राप्त कर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 के अनुसार कार्यवाही की जावे। 6. एन.बी.सी. के अनुसार भूकम्परोधी सुरक्षा के प्रावधानों की सुनिश्चितता किये जाने बाबत भवन विनियम अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र प्राप्त किया जावें। 7. प्रस्तावित पार्किग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अन्डरटेकिंग व शपथपत्र प्राप्त किया जावें कि इसे पार्किग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 8. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क/शास्ति जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
10.	दक्षिण	**राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 37/1 के संयुक्तिकृत भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 25, 26, 27 व 28) क्षेत्रफल 533.11 वर्गमीटर पर स्वतंत्र आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः– श्री विनीत ईमेनुएल चार्ल्स, नीता चार्ल्स, सुनिता जैन व सीमा चार्ल्स वगैरह** Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/115 भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया–** 1. प्रकरण में प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भू–जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 3. प्रस्तावित भवन की दूरी एयरपोर्ट की सीमा से 2 किलो मीटर के भीतर है अतः प्रस्तावित भवन की उँचाई के सम्बंध में भवन विनियम के प्रावधानानुसार नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रार्थी से प्राप्त किया जावें। 4. आवेदक द्वारा स्वतंत्र आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति चाही गई है तथा एकीकृत भवन विनियम–2017 अनुसार विकलांगो हेतु प्रावधान आवश्यक नहीं है। 5. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नही है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।

			6. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
11.	दक्षिण	**राजस्व ग्राम लूणी के खसरा सं. 244 मीन के औद्योगिक प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 4459.19 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।** **आवेदकः— मकोय हैण्डीक्राफ्ट जरिये श्री उमेश बोथरा** Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1131 भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया —** 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. भूखण्ड पर मौके पर निर्माण हैं अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति ली जा कर ही निर्माण स्वीकृति जारी की जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के कम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाने के उपरान्त ही निर्माण स्वीकृति जारी की जावें। साथ ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 4. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी पारीक)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2020/ 171—175 **दिनांकः—** 14/8/2020

प्रतिलिपी :— निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

निदेशक (आयोजना) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बीपी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 02/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री हरभान मीणा, सचिव/आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार पुनिया उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री ओ.पी. विश्नोई उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्रीमती पुष्पा हरवानी उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
7.	श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
8.	श्री ओ.पी पारीक, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बीपी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर